किया जावें। उक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 168/2020 तारीख दायरा 11.08.2020

उनवान

1. अमिता उर्फ गुड्डीकंवर माता रूपकंवर पिता किशनसिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 13 अहीरवाडा केथून जिला कोटा।
2. चन्द्रकंवर माता रूपकंवर पिता किशनसिंह पत्नी पूरणसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 13 अहीरवाडा केथून जिला कोटा।
3. दर्शनकंवर माता रूपकंवर पिता किशनसिंह पत्नी शंभू सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 13 अहीरवाडा केथून जिला कोटा।
4. प्रमोदसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादीगण) दिनांक :– 26.03.2021

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:51:10 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद मे खसरा न. 105 की 1.54 हैक्टर, खसरा न. 106 की 0.77 हैक्टर, खसरा न. 108 की 0.76 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 3.07 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है जो कि राजस्व रेकार्ड में वादीगण,

नीतू कंवर का भी राजस्व रेकार्ड अनुसार 19/375 हिस्सा दर्ज है, वादीगण अपनी उक्त कृषि भूमि में शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है।

उक्त कृषि भूमि को वादीगण की माता श्रीमति रूपकंवर ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 20.6.2011 के द्वारा तत्कालीन खातेदार गायत्री पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति महाजन निवासी सांगोद से खरीद किया था। उक्त विक्रय विलेख से श्रीमति रूपकंवर ने 19/75 हिस्सा खरीद किया था, जो कि नामान्तरण से रूपकंवर पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत निवासी केथून के नाम दर्ज हो गया। श्रीमती रूपकंवर का स्वर्गवास सन् 2014 के लगभग हो चुका है। श्रीमती रूपकंवर की मृत्यु के समय उनके मात्र चार वारिस वादीगण ही जिन्दा थे तथा उनकी एक पुत्री नीतू कंवर का स्वर्गवास उनके जीवनकाल में ही दिनांक 13.7.2001 को हो गया था।

श्रीमती रूपकंवर का स्वर्गवास होने के उपरान्त उनके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज करवाने के लिए वादीगण के पिता श्री किशनसिंह ने तत्कालीन हलका पटवारी महोदय को जानकारी दे दी थी तथा उन्होंने हलका पटवारी जी को यह भी बता दिया था कि स्व. रूपकंवर की एक अन्य पुत्री नीतू कंवर का स्वर्गवास दिनांक 13.7.2001 को ही हो चुका है। यह समस्त जानकारी लेने के उपरान्त हलका पटवारी जी ने वादीगण के पिता को आश्वस्त कर दिया था कि वे वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज कर देंगे, जिसकी नकल उन्हें मिल जावेगी।

किसी कार्यवश अपनी उक्त खाते की नकल निकलवाने के लिए वादीगण के पिता श्री किशनसिंह ने दिनांक 28.7.2020 को हलका पटवारी जी से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपकी नकल ई–मित्र से मिलेगी। इस पर वादीगण के पिता ने ई–मित्र से नकल निकलवाई तो उन्होंने पाया कि श्रीमती रूपकंवर के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी एक मृत अविवाहित पुत्री नीतू कंवर का स्वर्गवास दिनांक 13.7.2001 को ही हो चुका था, उसका नाम भी जमाबन्दी मे अंकित हो रहा है तथा वादिनी कम 1 अमिता के बचपन का नाम गुड्डीकंवर भी अंकित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सहवन से हलका पटवारी जी द्वारा श्रीमती रूपकंवर का फौती इन्तकाल खोले जाते समय उनकी मृत अविवाहित पुत्री नीतू कंवर का नाम भी जोड दिया गया तथा वादिनी कम 1 के बचपन का नाम गुड्डीकंवर जोड दिया गया, जो कि दुरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि नीतू कंवर का स्वर्गवास श्रीमती रूपकंवर के स्वर्गवास के कई वर्षों पूर्व ही हो चुका था तथा वादिनी कम 1 का वास्तविक नाम अमिता था, वादीगण के पिता ने उक्त नकल को लेकर नीतू कंवर का नाम हटाने व वादिनी कम 1 का नाम गुड्डी कंवर के स्थान पर अमिता दर्ज करने के लिए हलका पटवारी जी से कहा, लेकिन उन्होंने असमर्थता व्यक्त की ओर कहा कि आपको एस.डी.ओ. साहब के न्यायालय में कार्यवाही करनी पडेगी। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की सहायताएं चाहने हेतु वाद पेश करें, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:51:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी खातेदारी घोषणा की डिक्री प्रदान की जाकर वादीगण को ग्राम देगन्या तहसील सांगोद जिला कोटा मे स्थित खसरा न. 105 की 1.54 हैक्टर, खसरा न. 106 की 0.77 हैक्टर, खसरा न.108 की 0.76 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 3.07 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक को 19/300–19/300 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में मृतक नीतू कंवर का नाम खाते से हटाया जाकर इन्द्राज दुरस्त करते हुए मृतक नीतूं कंवर के स्थान पर वादीगण का नाम तथा वादिनी क्रम 1 के बचपन के नाम गुड्डीकंवर के स्थान पर वास्तविक नाम अमिता दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त करने का कष्ट करें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादी का जवाब बंद किया जाता है। वकील अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, बहस अधिवक्ता, नकल जमाबंदी, शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन व मनन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद मे खसरा न. 105 की 1. 54 हैक्टर, खसरा न. 106 की 0.77 हैक्टर, खसरा न. 108 की 0.76 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 3.07 हैक्टर आराजी में दर्ज मृतक नीतू कंवर का नाम डिलीट किया जावें तथा वादिनी सं. 1 के बचपन के नाम गुड्डीकंवर के [illegible] अमिता दर्ज किया जावें। उक्त आराजी में वादीगण 1 ता 4 को प्रत्येक को [illegible] हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के [illegible] दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:51:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।